हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म	राजस्व वाद पत्र संख्या 53 / 2023 उनवान [illegible] बनाम [illegible]
13/5/2024	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली [illegible] 20/5/2024 को पेश हो।
20/5/24	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली [illegible] दि. 27/5/24 को पेश हो।
27/5/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व अप्रार्थी/ अप्रार्थीगणों द्वारा आज तक जवाब पेश नहीं किया गया है अतः अप्रार्थीगणों का जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी की बहस धारा 111, 128 LR Act पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकित कर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान कम हो।

[illegible]
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमति नीतू मीणा (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 53/2023

रामेश्वर पुत्र श्री बींजा जाति भांभी उम्र करीबन 62 वर्ष निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती गीता देवी पत्नि शिशपाल जाति भांभी निवासी ग्राम तिलोनिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
2. पोखरमल पुत्र रामेश्वर लाल जाति बलाई निवासी बलाई मौहल्ला, दातडा, नरायणा जिला जयपुर राजस्थान।
3. लक्ष्मणलाल पुत्र सुवालाल जाति भांभी निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
4. सरोज देवी पत्नि जगदीशप्रसाद जाति माली निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
5. तेजा पुत्र भोमा जाति जाट निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
6. सुवा पुत्र भोमा जाति जाट निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

— अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी डॉ रामदेव गुर्जर

दिनांक 27.05.2026

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता डॉ रामदेव गुर्जर के पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ग्राम नलू पटवार हल्का नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1224/94 रकबा 1.1892 हैक्टेयर है। जिसकी चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार से है एवं चतुर्थ सीमा में काबिज काश्त अधिकार अभिलेख में इन्द्राज खातेदारो को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया जा रहा है। उत्तर :— खसरा नम्बर 94 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की खातेदारी भूमि, खसरा नम्बर 93 अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की—खातेदारी भूमि दक्षिण,पूर्व :— खसरा नम्बर 1197/99 अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि, पश्चिम :— खसरा नम्बर 1223/94 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि, उपरोक्त सीमा मध्य स्थित कृषि भूमि उपरोक्त सीमा मध्य के स्थित है जो संलग्न नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस के अनुसार प्रार्थना पत्र में चतुर्थ सीमा में स्थित खातेदारान को पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नलू पटवार क्षेत्र नलू तहसील किशनगढ़ ज़िला अजमेर में अवस्थित है जिसके जिस वर्तमान खसरा नम्बर 1224/94 भूमि है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा आये दिन सींव (सीमा) को लेकर विवाद करते रहते है एवं

नीतू मीना
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 एवं परिवारजन के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थी काफी परेशान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 6 द्वारा आये दिन प्रार्थी की आराजी की मेड़, सींव, नींव को लेकर विवाद उत्पन्न करके प्रार्थी की आराजी में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा हो गये। तत्पश्चात् प्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 1224/94 का सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया गया है जिसका दिनांक 07.06.2022 को सीमाज्ञान करवा कर मौका पर्चा तैयार किया गया है जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 एवं उनके परिवारजन के द्वारा सीमा चिन्ह (मेड़) को हटाते हुए प्रार्थी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी में ब्लात अतिचार करने पर आमादा हो जाते है। जिससे प्रार्थी की आराजी में पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है चुंकि प्रार्थी एवं मौके पर बार–बार आकर अप्रार्थीगण द्वारा अवैधानिक कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। इस कारण प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक हुआ है। जिससे सीमाओं का विवाद समाप्त हो सकता है एवं सीमाओं को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इस कारण से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 आपस में पड़ौसी खातेदार है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 एवं उनके परिवारजन के द्वारा बिजाई. बुवाई के दिनो में प्रार्थी की सींव, मेड़ को उखाड़ने पर आमादा हो जाते है एवं प्रार्थी की आराजी पर ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर उतारू है। जिससे प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी परेशान है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में अपनी स्वयं कि आराजी में चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु सद्भाविक रूप से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र में सभी चतुर्थ सीमा में स्थित पडौसी खातेदारान की वस्तुस्थिती का वर्णन किया गया है एवं पक्षकार संयोजित किया गया है, इस कारण प्रार्थीगण द्वारा धारा 111 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित शर्तों कि व नियमो कि पालना करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि सीमाज्ञान करवाने के पश्चात् विधिवत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 7, भू–धारी होने से आवश्यक पक्षकार है माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करने से पक्षकार संयोजित किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 प्रार्थी की आराजी के पड़ौसी खातेदार होने से इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न निहित नहीं है एवं प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के पक्ष में पारित निर्णय के पश्चात् कमिश्नर नियुक्ति की विधिक शुल्क जमा करवाने हेतु प्रार्थीगण तैयार व तत्पर है। प्रार्थी की खातेदारी की आराजी ग्राम नलू पटवार हल्का नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है जिसके खसरा नम्बर 1224/94 रकबा 1.1892 हैक्टेयर की नजरी नक्शा/राजस्व ट्रेस/जमाबन्दी के अनुसार चतुर्थ सीमा पर पत्थरगढ़ी करने के प्रार्थी के पक्ष में आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.03.2023 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 13.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का जवाब पेश हुआ। दिनांक 10.12.2024 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 10.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 04, 05, 06 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। पैरोकार सरकार द्वारा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी हेतु अनापत्ति व्यक्त की। दिनांक 27.05.2026 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 का जवाब बन्द कर दिया गया।
3. दिनांक 27.05.2026 को वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

इस पर मनन किया गया एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम नलू स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1224/94 रकबा 1.1892 हैक्टैयर का हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 07.06.2022 को सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1224/94 के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाना न्यायौचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 2000/– अक्षरे दो हजार रू0 तय कर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जातें हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम नलू स्थित खसरा संख्या 1224/94 रकबा 1.1892 हैक्टेयर भूमि का दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)
किशनगढ़